[illegible] गया।

6/8/2025 पत्रा॰ पेश हुई। प्रार्थी का दावा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। प्रार्थना-पत्र 212 RTA का कोई औचित्य नहीं। अत: प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 212 RTA खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल, शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 15:14:56 IST
Reason: SelfAttested